

प्रेषक

श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़।

सेवा में,

- 1- सभी अधिकारीगण, श्रम विभाग, हरियाणा।
- 2- सभी अधिकारीगण, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
- 3- सभी अधिकारीगण, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

क्रमांक नं० 36/01-125 दिनांक 26/08/2018

विषय: अन्तयोदय सरल पोर्टल पर राईट टू सर्विस ऐक्ट के अर्न्तगत श्रम विभाग तथा बोर्डों की ऑनलाईन सर्विसिज की प्रगति रिपोर्ट बारे।

आपको सूचित किया जाता है कि अन्तयोदय सरल पोर्टल पर राईट टू सर्विस ऐक्ट के अर्न्तगत श्रम विभाग तथा बोर्डों की ऑनलाईन सर्विसिज की प्रगति रिपोर्ट बारे समय-2 पर डॉ० राकेश गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठको का आयोजन किया जाता रहा है। इन बैठकों में अन्तयोदय सरल पोर्टल पर राईट टू सर्विस ऐक्ट के अर्न्तगत ऑनलाईन सर्विसिज की प्रगति बारे समीक्षा की जाती है, जिसमें श्रम विभाग की ऑनलाईन सर्विसिज का अन्तयोदय सरल पोर्टल पर स्कोर काफी नीचे है, जिस कारण विभाग व बोर्डों की छवि खराब हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि इन सेवाओं को निर्धारित समयानुसार पूर्ण किया जाये। अन्तयोदय सरल पोर्टल पर विभाग तथा बोर्डों की सेवाओं के स्कोर/प्रगति बारे निम्न प्रकार से ऑनलाईन साईट पर चैक किया जा सकता है:-

google site : status.saralharyana.nic.in/dashboard/login.aspx

Login ID: labour_nodal

Password: labour@891

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि राईट टू सर्विस ऐक्ट के अर्न्तगत श्रम विभाग तथा बोर्डों की ऑनलाईन सर्विसिज को निर्धारित समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के कार्य को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा विभागीय कार्रवाई तुरन्त प्रभाव से अमल में ला दी जायेगी।


अति० श्रम आयुक्त, प्रशा०
हरियाणा, चंडीगढ़।